संख्या-2/2018/242/एक-2-2018-1(सामान्य)/2017टी0सी0

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश

3- आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

5- चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग-02 लखनऊः दिनांक: 19 फरवरी, 2018

विषयः- एन्टी भूमाफिया टास्क फोर्स के नाम पर गरीब, निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न न किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-491/एक-2-2017-1(सामान्य)/2017 टी0सी0 दिनांक 16.05.2017 द्वारा आदेश प्रसारित किये गये है कि ''अवैध सम्पत्तियों एवं भू-माफियाओं का चिन्हीकरण एवं अतिक्रमण हटाये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते समय किसी गरीब, असहाय एवं कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न न होने पाये । साथ ही विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये ।''

2- शासन के संज्ञान में कतिपय ऐसे प्रकरण आये हैं कि उक्त आदेशों के उपरान्त भी अवैध सम्पत्तियों एवं भूमाफियाओं का चिन्हीकरण तथा अतिक्रमण हटाये जाने के नाम पर गरीब, निराश्रित व्यक्तियों का उत्पीड़न/शोषण किया जा रहा है। यह स्थिति अनुचित है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवैध सम्पत्तियों एवं भूमाफियाओं का चिन्हीकरण एवं अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी कार्यवाही करते समय किसी गरीब, असहाय एवं कमजोर व्यक्ति का उत्पीडन न होने पाये तथा विधिक प्रक्रियाओं का अनुपालन भी प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाये। गरीबों के उत्पीड़न /शोषण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त होने पर वह स्वयं प्रकरण की जांच करेंगे तथा जांच में दोषी पाये जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व कठोर कार्यवाही करेंगे ।

3- कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-2/2018/242(1)/एक-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से अधीनस्थो को निर्देशित करने का कष्ट करे:-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सुधीर सिंह चैहान
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।